न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-1 कोटा (राज.)

.....

पीठासीन अधिकारी ः आशीष दाधीच, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद (सी.आई.एस.) संख्या ः 125/2021

CNR No. RJKT010046982021

01. श्रीमती श्यामलता पत्नी स्व० श्री शंकर लाल आयु 40 साल निवासी आधुनिक बुटिक के पास, पवन दुग्ध डेयरी रोड, बल्लभबाडी, कोटा (राज०)
02. दीपिका चंदेल पुत्री स्व० श्री शंकर लाल चंदेल आयु 23 साल निवासी आधुनिक बुटिक के पास, पवन दुग्ध डेयरी रोड, बल्लभबाडी, कोटा (राज०) ---वादीगण

-बनाम-

01. सुशीला बाई पत्नी परसराम पुत्री स्व० कन्हैयालाल निवासी पुलिस चौकी के सामने कोटडी कोटा हाल निवास पवन दुग्ध डेयरी रोड बल्लभबाडी, कोटा (राज०)
02. बिल्लो बाई पत्नी सत्यनारायण पुत्री स्व० कन्हैयालाल निवासी मस्जिद के पास, विज्ञान नगर कोटा हाल निवास पवन दुग्ध डेयरी रोड बल्लभबाडी, कोटा (राज०)

---प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत विभाजन सम्पत्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति:

1. श्री प्रेमशंकर नावर, अभिभाषक- वादीगण की ओर से।
2. श्री जाकिर हुसैन, अभिभाषक-प्रतिवादीगण की ओर से।

ः::ः निर्णय :ः:: दिनांक: 30.05.2026

01. वादीगण श्रीमती श्यामलता वगैरह द्वारा प्रतिवादीगण सुशीला बाई वगैरह के विरूद्ध यह वाद वास्ते विभाजन सम्पत्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 09.07.2021 को श्रीमान् जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष पेश किया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. वादपत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री कन्हैयालाल एवं श्रीमती छोटा बाई दोनो पति पत्नी थे। श्री कन्हैयालाल का निधन लगभग 40 वर्ष पूर्व हो गया तथा श्रीमती छोटा बाई का निधन दिनांक 12.08.2020 को हो गया है, उक्त दोनो के एक पुत्र शंकर लाल व दो पुत्रीयाँ प्रतिवादी सं.1 व 2 हैं। पुत्र शंकर लाल का निधन दिनांक 08.07.2008 को हो गया है। स्व० शंकर लाल की वादी सं.1 पत्नी वादी सं.2 पुत्री जीवित है। स्व० श्री कन्हैयालाल एवं स्व० श्रीमती छोटा बाई की सम्पत्ति एक आवासीय मकान जिसकी पैमायश लगभग 25 गुणा 25 = 625 वर्गफुट है, जो कि मकान नं.ए190, बल्लभबाडी के सामने वाके पवन दुग्ध डेयरी रोड, बल्लभबाडी, गुमानपुरा कोटा में स्थित है, जिसकी चतुर्सीमाए पूर्व- मकान राधेश्याम शर्मा जी, पश्चिम- मकान भंवरी बाई भोई, उत्तर- गली बाद मकान त्रिलोक जी व भंवर लाल मोदी एवं दक्षिण- आम रोड बाद मकान नं. ए190 श्यामसुंदर नामा का स्थित है। उक्त मकान लगभग 625 वर्गफुट में निर्मित है, जिसमें भू-तल पर 3 कमरे, बरामदा/चौक व लैट बॉथ है, प्रथम तल पर दो कमरे बने हुये

है, जिसमें वादीगण भूतल पर पूर्व दिशा की ओर राधेश्याम जी शर्मा के मकान के अडवा बने हुये कमरे में निवास करती है, जिसमें वादीगण का स्त्रीधन व दहेज सामान आदि रखे हुये है। यानि की उक्त मकान पर वादीगण का कब्जा है। वाद पत्र की मद सं.4 में वर्णित अनुसार स्व० श्री कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती छोटा बाई का सजरा अंकित है। इस प्रकार उक्त मकान में सभी सम्पत्ति में वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं भाग है, प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा है, वादीगण का उक्त मकान/सम्पत्ति में संयुक्त रूप से कब्जा है। परिवार में विवाद की स्थिति है, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साथ अभ्रद व्यवहार किया जाता है, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता है, मारपीट की जाती है एवं दहेज की डिमाण्ड की जाती है तथा वादीगण को जान से मारने की धमकी दी जाती है। उक्त सम्पूर्ण मकान को हडप कर जाने की नियत से वादीगण के साथ धौंस दबाव की नीति से जबरन बेदखल करने हेतु प्रयासरत होने एवं चुपचाप से उक्त मकान का विक्रय वादीगण की जानकारी में लाये बिना करने हेतु आमादा होने के कारण उक्त संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति/मकान को रखना एवं उपभोग करना संभव नही रहा है, दिन प्रतिदिन विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, वादीगण पुत्री पर भी गलत प्रभाव पड रहा है, पढाई में व्यवधान पैदा हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करना संभव नही हो पा रहा है, इस कारण उक्त मकान का विभाजन करना आवश्यक है।

03. वादीगण का आगे यह भी कथन रहा है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त मकान का विभाजन करने का दिनांक 14.01.2021 को प्रस्ताव दिया था, जिसे प्रतिवादीगण ने अस्वीकार कर दिया है एवं वादीगण के साथ में लडाई झगडा करने पर अमादा हो गये है, उक्त मकान को वादीगण की सहमति के बिना बेचने की एवं जबरन बेदखल करने की धमकी दी गयी। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.02.2021 को कानूनी नोटिस प्रेषित करवाया, उक्त नोटिस प्रतिवादी कम-1 को दिनांक 20.02.2021 को एवं प्रतिवादी कम-2 को दिनांक 24.02.2021 को प्राप्त हो गया है, नोटिस मियाद समाप्त हो जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा हेतु कार्यवाही नही किये जाने के कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। समस्त सम्पत्ति अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति है, जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से है, वादीगण का संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति पर संयुक्त कब्जा है। अंत में वाद कारण, निश्चित न्याय शुल्क पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार होना बताते हुए कथन किया है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व विभाजन का वाद डिकी किया जाकर वाद वर्णित सम्पत्ति में वादीगण का 1/3 हिस्सा विभाजन किया जावें एवं विभाजित भाग का पृथक कब्जा दिलाया जावें एवं निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन बेदखल नही करें, प्रतिवादीगण उक्त वाद वर्णित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का भार उत्पन्न नही करें, हस्तांतरण नहीं करें, किसी को कब्जा पत्र लिखकर नही देवें।

04. उक्त वादपत्र का जबाव प्रतिवादीगण ने पेश कर वादपत्र की मद सं.1, 2 स्वीकार कर मद सं.3 में मकान का वर्णन व सीमांए स्वीकार कर वादीगण का स्त्रीधन व दहेज का सामान विवादित मकान में रखे होना, उसमें वादीगण का निवास करना अस्वीकार किया है, क्योंकि वादी सं.1 पति के निधन के दो माह बाद ही ससुराल छोडकर

अपने मायके चली गयी थी, उस समय उसके कोई संतान नहीं थी तथा अपना सम्पूर्ण स्त्रीधन दहेज का सामान भी ले गयी थी। वाद पत्र की मद सं.4 में वादी द्वारा अंकित अनुसार स्वीकार की है, परन्तु वादिनी का उक्त मकान पर कब्जा होना अस्वीकार किया है एवं कथन किया है कि उक्त मकान के दस्तावेज मृतक स्व० छोटीबाई अपनी मृत्यु से पूर्व अपने बडे भाई इन्द्रभान पुत्र पन्नालाल निवासी घोषियों की मस्जिद गुमानपुरा कोटा को देखभाल के लिए सुपुर्द कर दिए, दस्तावेज उसी के पास हैं। दस्तावेजात इन्द्रभान के पास होने की जानकारी छोटीबाई ने अपने जीवनकाल में अपनी मृत्यु से पूर्व प्रतिवादीगण व उसके पति को दे दी थी। मद सं.5, 6 व 7 को अस्वीकार कर कथन किया है कि वादपत्र में वर्णित मकान सम्पत्ति का वादपत्र के अनुसार विभाजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। मद सं.8 लगायत 10 को स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र उपरोक्तानुसार डिक्री कर वाद विषयक सम्पत्ति मकान का विभाजन करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2022 को निम्न विवाद्यक बिन्दु कायम किए गए-

01. आया वादीगण के पैरा सं० 3 में वर्णित सम्पत्ति का संयुक्त रूप से वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य 1/3-1/3 हिस्सा का विभाजन करवा कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ? ---वादीगण

02. आया वादीगण उक्त वाद अधीन सम्पत्ति से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करने, उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार अन्तरण नहीं करके तथा उक्त सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का भार उत्पन्न नहीं करने के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी हैं ? ---वादीगण

03. अनुतोष-?

06. तत्पश्चात उक्त विवाद्यक बाबत् मौखिक साक्ष्य में वादीगण की ओर से पी.डब्ल्यु.1 श्रीमती श्यामलता का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, जिस पर उक्त गवाह से अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से जिरह की गयी एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नोटिस प्रदर्श-1, रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श-2 व 3, ट्रेक रिपोर्ट प्रदर्श-4 व 5, मकान का फोटो प्रदर्श-6 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श-7 को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है।

07. प्रतिवादीगण की ओर से डी.डब्ल्यू.1 के रूप में श्रीमती सुशीला का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, जिस पर उक्त गवाह से अधिवक्ता वादीगण की ओर से जिरह की गयी।

07. तत्पश्चात् बहस अंतिम सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 05.07.2024 के प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की पारित की जाकर घोषणा की गई थी किः-

"वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस आश्य की पारित करते हुए यह घोषणा की जाती है कि वाद पत्र के पैरा सं.3 में वर्णित सम्पत्ति के वादीगण के पति/पिता स्व० शंकरलाल व प्रतिवादीगण मृतक स्व० कन्हैयालाल व स्व० श्रीमती

Authenticated Document

छोटाबाई के विधिक वारिसान होने से सह-स्वामी है, चूंकि शंकरलाल की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिसान वादीगण है, अतः उपरोक्त विववेचनानुसार उक्त वादाधीन सम्पत्ति में वादीगण 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से एवं प्रतिवादीगण 1/3-1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त सम्पत्ति के बंटवारे हेतु कमीशन जारी हो। कमिश्नर को आदेश दिया जाता है कि वह आवश्यक व नियमानुसार जांच कर उक्त सम्पत्तिय में पक्षकारों के उपरोक्त निर्णय अंशो के अनुसार सम्पत्ति को विभक्त कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट एक माह के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रारम्भिक डिक्री उक्तानुसार बनाई जावे।"

08. उक्त प्रारम्भिक डिक्री में पारित आदेश की अनुपालना में पक्षकारान श्रीमती श्यामलता, श्रीमती बिल्लो बाई उर्फ विमला एवं श्रीमती सुशीला बाई द्वारा स्वयं के शपथ पत्र पेश किए एवं प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार किए गए 1/3-1/3 हिस्से में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना एवं उसी अनुरूप अन्तिम डिक्री पारित करने एवं पक्षकारान के मध्य सहमति होकर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना एवं राजीनामा होना भी स्वीकार किया है, साथ ही पक्षकारान की ओर से दिनांक 27.05.2026 को राजीनामा भी पेश किया गया है, जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं पक्षकारान की ओर से वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में अपना-अपना 1/3-1/3 हिस्सा स्वीकार करना एवं उभय पक्षकारान की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं करने व प्रस्तुत राजीनामा के तथ्य को देखते हुए विवादित सम्पत्ति का पक्षकारान के मध्य प्रारम्भिक डिक्री में हुए बंटवारे व राजीनामा के अनुसार पक्षकारान को दिया जाना उचित प्रतीत होने से वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है। अतः उभयपक्षों के बीच वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार अंतिम डिक्री पारित की जाती है।

ः- आदेश:-

09. परिणामतः वादीगण श्रीमती श्यामलता वगैरह की ओर से प्रतिवादीगण सुशीला बाई वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत वाद स्वीकार कर विवादित सम्पत्ति का पक्षकारान के मध्य प्रारम्भिक डिक्री में बंटवारे व राजीनामा के अनुसार बंटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। इस प्रकरण में पारित की गई प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.07.2024 व राजीनामा दिनांक 27.05.2026 इस अंतिम डिक्री का भाग रहेगें। तद्नुसार अंतिम डिक्री बनाई जावे। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

(आशीष दाधीच)
अपर जिला न्यायाधीश, क्रम-1, कोटा

10. निर्णय आज दिनांक 30.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)
अपर जिला न्यायाधीश, क्रम-1, कोटा

NAND KISHORE BANSAL
Digitally signed by NAND KISHORE BANSAL
Date: 2026.05.30 12:57:23 +0000
Authenticated Document